

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

दिनांक 30.04.2026 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) के निम्नांकित पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-IV 37400-67000 - ग्रेड पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

1) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2601/ श्री रौशन कुमार साह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-63/20, गृह जिला- गोड्डा), उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री साह को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2602/ श्री संजय कुमार दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-65/20, गृह जिला- गोड्डा), परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, साहेबगंज को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री दास को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2603/ श्रीमती कुमारी गीतांजली, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-76/20, गृह जिला- राँची), अपर समाहर्ता, रामगढ़ को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती गीतांजली को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2604/ श्री मनीष कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 80/20, गृह जिला- धनबाद), सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पलामू प्रमण्डल, पलामू को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

5) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2605/ श्री ज्ञानेन्द्र, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 88/20, गृह जिला- लखीसराय, बिहार), अपर समाहर्ता, सिमडेगा को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री ज्ञानेन्द्र को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

6) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2606/ श्री महेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 90/20, गृह जिला- राँची), उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

7) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2607/ श्रीमती उषा मुण्डू, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 92/20, गृह जिला- राँची), उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती मुण्डू को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।



- 8) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2608/ श्री प्रेम कुमार तिवारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-93/20, गृह जिला- राँची), महाप्रबंधक, झारखण्ड खनिज विकास निगम, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री तिवारी को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 9) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2609/ श्री संतोष सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 94/20, गृह जिला- उत्तर प्रदेश), अपर समाहर्ता, हजारीबाग को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिंह को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 10) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2610/ श्री शहंशाह अली खान, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-98/20, गृह जिला- पटना), उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री खान को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 11) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2611/ श्री विमूति मण्डल, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 99/20, गृह जिला- गोड्डा), क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, संधाल परगना प्रमण्डल, दुमका को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री मण्डल को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 12) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2612/ श्रीमती सुमन पाठक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-101/20, गृह जिला- पलामू), मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती पाठक को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 13) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2613/ श्री विद्या भूषण कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-102/20, गृह जिला- अरवल, बिहार), निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 14) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2614/ श्री गौतम कुमार भगत, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-104/20, गृह जिला- गुमला), अपर समाहर्ता, साहेबगंज को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री भगत को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 15) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2615/ श्री अजय कुमार साव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-105/20, गृह जिला- धनबाद), सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री साव को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

16) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2616/ श्री प्रवीण कुमार प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-106/20, गृह जिला- हजारीबाग), संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री प्रकाश को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

17) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2617/ मो0 मुमताज अंसारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-109/20, गृह जिला- गुमला), अपर समाहर्ता, बोकारो को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए मो0 अंसारी को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

18) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2618/ श्रीमती मनीषा तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-113/20, गृह जिला- गुमला), विशेष विनियमन पदाधिकारी (SAR), राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती तिर्की को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

19) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2619/ श्री शैलेन्द्र कुमार रजक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-114/20, गृह जिला- पाकुड़), सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, दुमका (संथाल परगना) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री रजक को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

20) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2620/ श्री विशालदीप खलखो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-116/20, गृह जिला- राँची), उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री खलखो को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

21) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2621/ श्री रंजीत लोहरा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 117/20, गृह जिला- राँची), उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री लोहरा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

22) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2622/ श्रीमती मोनी कुमारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-121/20, गृह जिला- धनबाद), विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती कुमारी को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

23) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2623/ श्री रामा रविदास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 122/20, गृह जिला- हजारीबाग), अपर समाहर्ता, लातेहार को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री रविदास को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

- 24) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2624/ श्रीमती प्रीती किस्कू, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-123/20, गृह जिला- राँची), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती किस्कू को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 25) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2625/ श्रीमती पूनम कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-124/20, गृह जिला- राँची), अपर समाहर्ता, कोडरमा को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती कुजूर को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 26) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2626/ श्री अमित बेसरा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 126/20, गृह जिला- सिमडेगा), माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव (सरकारी कोटा) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री बेसरा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 27) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2627/ श्री प्रवीण केरकेट्टा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-127/20, गृह जिला- पू0 सिंहभूम), अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री केरकेट्टा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 28) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2628/ श्री शशीन्द्र कुमार बड़ाईक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 129/20, गृह जिला- लोहरदगा), अपर समाहर्ता, गुमला को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री बड़ाईक को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 29) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2629/ श्री बिजय सिंह बिरुवा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-131/20, गृह जिला- पू0 सिंहभूम), अपर समाहर्ता, गिरिडीह को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री बिरुवा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 30) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2630/ श्रीमती मोनिका रानी टुटी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-132/20, गृह जिला- राँची), उप निदेशक, डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती टुटी को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- 31) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2631/ श्रीमती सरोजनी एनी तिर्की, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 136/20, गृह जिला- राँची), उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती तिर्की को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।



32) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2632/ श्री सत्यवीर रजक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-137/20, गृह जिला- दुमका), उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री रजक को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

33) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2633/ श्रीमती रंजीता टोप्पो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-139/20, गृह जिला- राँची), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती टोप्पो को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।


34) संख्या-3/प्रो0-02-02/2024 का. 2634/ श्रीमती लीली एनोला लकड़ा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 142/20, गृह जिला- राँची), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती लकड़ा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 कंडिका- 2(iii) एवं (v) के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारियों जिनकी अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखी जा रही है, उनके आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जिस कोटि में उन्हें प्रोन्नति प्रदान की जायेगी उस कोटि के प्रोन्नत अंतिम पदाधिकारी को पदावनत किया जायेगा।

III. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के द्वितीय बैच (JPSC के माध्यम से नियुक्त) के पदाधिकारियों के नियुक्ति में अनियमितता से संबंधित कांड/वादों में पारित होने वाले आदेश/फलाफल से इनकी प्रोन्नति प्रभावित होगी।

IV. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(चिन्दू दोराईबुरु)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक- 3/प्रो0-02-02/2024 का. 2635/ राँची, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3/प्रो0-02-02/2024 का. 2635/ राँची, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।